


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,

आई डी बी आई बैंक बनाम श्रीमती सरला शर्मा

प्रकरण संख्या 12/2015 (धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
15.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया ।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर का दिनांक 08.04.2015 से स्थगन जारी किया हुआ है।</p> <p>अतः प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 सिक्वोरिटार्डिजेशन एक्ट-2002 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लौटाया जाता है। प्रार्थी वित्तीय बैंक माननीय उच्च न्यायालय से आदेश होने पर तदनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर</p>	